प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटू पायलट उर्फ दीपक नाई पुत्र श्री रामगुलाम, निवासी जिला-ललितपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27333 /प्रोबेशन- 3/ फार्म-ए (एम-14-10-2020) दिनांक-02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटू पायलट उर्फ दीपक नाई पुत्र श्री रामगुलाम, जो नई बस्ती गांधीनगर ओ0पी0 नई बस्ती, थाना-कोतवाली, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 19.05.2004 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ भाड़े पर हत्या एवं हत्या के प्रयास में अद्दी, बन्दूक, तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-199/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 27.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2020 तक 16 वर्ष 02 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-ललितपुर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-ललितपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ललितपुर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में आशक्त नहीं होने, अपराध रोकने हेतु जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- ललितपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी के हत्या जैसे जघन्य अपराध का अभ्यस्त अपराधी होने, आयु को देखते हुए यदि कारागार से बाहर रहता है तो संगीन अपराधों में पुन: लिप्त होकर समाज में भय व्याप्त कर सकने के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 19.05.2004 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ भाड़े पर हत्या एवं हत्या के प्रयास में अद्दी, बन्दूक, तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, संगीन अपराधों में पुन: लिप्त होकर समाज में भय व्याप्त करने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छोटू पायलट उर्फ दीपक नाई पुत्र श्री रामगुलाम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी छोटू पायलट उर्फ दीपक नाई (बन्दी संख्या-19352) पुत्र श्री रामगुलाम, निवासी जिला-ललितपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-156/2021/1014(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-156/2021/1014/22-2-2020-17(397)/2018

दिनांक 26 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटू पायलट उर्फ दीपक नाई पुत्र श्री रामगुलाम, जो नई बस्ती गांधीनगर ओ0पी0 नई बस्ती, थाना-कोतवाली, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 19.05.2004 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ भाड़े पर हत्या एवं हत्या के प्रयास में अद्दी, बन्दूक, तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-199/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 27.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2020 तक 16 वर्ष 02 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-ललितपुर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-ललितपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ललितपुर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में आशक्त नहीं होने, अपराध रोकने हेतु जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ललितपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी के हत्या जैसे जघन्य अपराध का अभ्यस्त अपराधी होने, आयु को देखते हुए यदि कारागार से बाहर रहता है तो संगीन अपराधों में पुन: लिप्त होकर समाज में भय व्याप्त कर सकने के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 19.05.2004 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ भाड़े पर हत्या एवं हत्या के प्रयास में अद्दी, बन्दूक, तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, संगीन अपराधों में पुन: लिप्त होकर समाज में भय व्याप्त करने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छोटू पायलट उर्फ दीपक नाई पुत्र श्री रामगुलाम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in